प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 12.10.2025

- **थाना अमराहट पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध आतिशबाजी/ पटाखा भण्डारण करना वाला 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से कुल 103 कि0ग्रा0 अवैध आतिशबाजी/पटाखे बरामद किये गये।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अवैध रूप से पटाखों के भण्डारण एवं विक्रय पर प्रभावी रोक लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया कानपुर देहात श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 12.10.2025 को थाना अमराहट पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त को घर मे आतिशबाजी/पटाखा भंडारण का वैध लाइसेंस तलब किया गया, तो जांच में यह पाया गया कि अभियुक्त के नाम श्रीमान उपजिलामजिस्ट्रेट सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के पत्रांक-790/एसटी-अनु0पत्र/2025 दिनांक -09, अक्टूबर 2025 के क्रम मे दिनांक 10.10.2025 व दिनांक 20-21/10/2025 को आतिशबाजी एवं रोशनी फैलाने वाली फुलझाडियो को बिक्री किये जाने हेतु 15 कि0ग्रा0 तक की आतिशबाजी विक्रय करने का लाइसेंस प्रदान किया गया था परन्तु अभियुक्त को भंडारण तथा 15 किग्रा0 से अधिक आतिशबाजी रखने की अनुमति नही थी।अभियुक्त के पास आतिशबाजी/पटाखो का भंडारण पूर्ण रूप से अवैध पाया गया। पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त चन्दन पुत्र रामजीवन निवासी पक्की महटौली थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात उम्र 22 वर्ष को 103 कि0ग्रा0 अवैध आतिशबाजी व पटाखा के साथ पक्की महटौली थाना अमराहट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अमराहट पर **मु0अ0सं0**- 38/2025 धारा 5/9ख विस्फोटक अधिनियम 1884 बनाम चन्दन, उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

चन्दन पुत्र रामजीवन निवासी पक्की महटौली थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात उम्र 22 वर्ष

बरमदगी का विवरण-

103 कि0ग्रा0 आतिशबाजी/ पटाखे

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना अमराहट पुलिस